न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 94/2025

उम्मेद, सुभाष एवं भूप पुत्र रतीराम जाति जाट, निवासी ढाणी सांगवा, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
—रेस्पोडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 24.03.2021 न्यायालय तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं प्रकरण संख्या 17/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद, सुभाष एवं भूप पुत्र रतीराम किस्म मुकदमा अ0 धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट..............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 16.12.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा हैक्टर ग्राम मैजा सांगवा तहसील बुहाना में स्थित भूमि गैर मुमकिन जोहड की भूमि है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि राजस्व ग्राम मैजा सांगवा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 9.86 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड के रकबा 0.03 है. भाग पर पुख्ता मकान व दिवार लगाकर गैरसायल उम्मेद, सुभाष एवं भूप पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी ढाणी सांगवा, तहसील बुहाना, ने पुख्ता मकान व दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट के पिता के हक में तथाकथित अतिक्रमण स्थल का पट्टा दिनांक 19.11.1975 को तत्तकालिन विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खान्दवा का जारी किया हुआ है तथा अपीलान्टस ने अदालत मातहत के यहा एक सारवन बिन्दु पुराने

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

कब्जे के उठाया था सारवन बिन्दु का निर्धारण समरी प्रोसिडिंग कि मार्फत नही किया। अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु को गिना डिसकस किये पारित कर तथ्य एवं विधि की भूल की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021 में कही भी यह दर्ज नही है कि तथाकथित अतिकमण कब किस साल संवत का है। साल संवत पटवारी हल्का ने जानबुझकर इसलिय नही की है कि तथाकथित अतिकमण पुराना है और इजाजतन हैं। अपीलांट दिनांक 24.03.2021 को नियत पेशी पर अदालत मातहत के यहां उपस्थित हुआ था और जबाब प्रस्तुत किया तथा उपर वर्णित पट्टे की प्रति पेश की गई। इस पर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट्स को यह कहा कि वे पट्टे तथा पुराने कब्जे की जांच करवाकर और तथाकथित अतिक्रमण स्थल का भू अभिलेख निरीक्षक से लम्बाई चौड़ाई के संबंध में नाप करवाकर और यह कहा कि उसके बाद पुनः अपीलान्ट्स को नोटिस देकर बुलाया जायेगा और निर्णय के बाबत नहीं बताया। अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत के तत्तकालिन पीठासीन अधिकारी की उपरोक्त बातों पर विश्वास कर लिया। दिनांक 07.07.2025 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को उपरोक्त निर्णय की पालना के कम में बेदखल करने का नोटिस दिया तब अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी नहीं हुई। उसके बाद जानकारी कर अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त की गई। अपीलान्ट्स की अपील में मैरिट है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नहीं रही है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पारित बेदखली आदेश को खारिज फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 9.86 हैक्टर ग्राम मैजा सांगवा तहसील बुहाना में स्थित भूमि गैर मुमकिन जोहड की भूमि है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि राजस्व ग्राम मैजा सांगवा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 9.86 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड के रकबा 0.03 है. भाग पर पुख्ता मकान व दिवार लगाकर गैरसायल उम्मेद, सुभाष एवं भूप पुत्र रतीराम जाति जाट, निवासी ढाणी सांगवा, तहसील बुहाना ने पुख्ता मकान व दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट के पिता के हक में तथाकथित अतिक्रमण स्थल का पट्टा दिनांक 19.11.1975 को तत्तकालिन विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खान्दवा का जारी किया हुआ है तथा अपीलान्टस ने अदालत मातहत के यहा एक सारवन बिन्दु पुराने

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

कब्जे के उठाया था सारवन बिन्दु का निर्धारण समरी प्रोसिडिंग कि मार्फत नही किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021 में कही भी यह दर्ज नही है कि तथाकथित अतिक्रमण कब किस साल संवत का है। साल संवत पटवारी हल्का ने जानबुझकर इसलिय नही की है कि तथाकथित अतिक्रमण पुराना है और इजाजतन हैं। अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत के तत्तकालिन पीठासीन अधिकारी की उपरोक्त बातों पर विश्वास कर लिया। दिनांक 07.07.2025 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को उपरोक्त निर्णय की पालना के कम में बेदखल करने का नोटिस दिया तब अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी नहीं हुई। उसके बाद जानकारी कर अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त की गई। अपीलान्ट्स की अपील में मैरिट है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नहीं रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2021 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन जोहड है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 मुकदमा संख्या 17/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद, सुभाष एवं भूप पुत्र रतीराम अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner